भारत सरकार **लोक सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 1628**

(वाणिज्य विभाग)

<u>दिनांक 10 फरवरी 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए</u>

निर्यात-आयात की स्थिति

1628. **श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में निर्यात-आयात और औद्योगिक विकास की वर्तमान स्थिति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य परिणाम क्या निकले;

(ग) क्या सरकार 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के अंतर्गत घरेलू उद्योगों को बढ़ावा दे रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क) से (घ) सरकार देश में निर्यात और आयात का रिकार्ड रखती है। निर्यात और आयात का विवरण https://niryat.gov.in/ पर उपलब्ध है।

इसके अतिरिक्त, मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत 25 सितम्बर 2014 को निवेश को सरल बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने, सर्वोत्तम श्रेणी का ढांचा बनाने और भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवाचार का केन्द्र बनाने के लिए की गई थी। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 में 15 विनिर्माण क्षेत्रों सहित 27 क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों और राज्य सरकारों द्वारा लागू किया गया है। मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत शामिल क्षेत्रों की सूची को **अनुलग्नक-I** में दर्शाया गया है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआइपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी), इंडिया इंडस्ट्रीयल लैंड बैंक (आइआइएलबी), इंडस्ट्रियल पार्क रेटिंग सिस्टम (आइपीआरएस) के माध्यम से विनिर्माण को प्रोत्साहन देती है और विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम

(एनएसडब्ल्यूएस) की शुरूआत की। केन्द्रीय बजट 2025-26 में 100 करोड़ रूपये की अग्रिम राशि के साथ राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन (एनएमएम) की घोषणा की गई, जो मेक इन इंडिया का भाग है। यह व्यापार में सुगमता लाने, भविष्य के लिए तैयार कार्यबल, गतिशील एमएसएमई, तकनीकी पंहुच और गुणवत्ता उत्पादों पर केन्द्रित है। इन उपायों ने साथ में चल रही स्कीमों के साथ घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ाया है।

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मेक इन इंडिया पहल के तहत कार्य-कलाप किए जा रहे हैं। मंत्रालयों द्वारा संचालित क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाओं, कार्यक्रमों, स्कीमों और नीतियों का निर्माण मंत्रालयों द्वारा ही किया जाता है, जबकि आकर्षक निवेश हेतु राज्यों की अपनी स्कीमें भी हैं।

भारत को 'आत्मनिर्भर' बनाने को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से एक, भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआइ) स्कीमों की घोषणा की गई है। पीएलआइ स्कीमों की घोषणा के साथ, अगले पांच और उससे अधिक वर्षों में उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक विकास और निर्यात में महत्वपूर्ण सुधार की संभावना है। अब तक देश भर में 14 क्षेत्रों में 806 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं।

अनुलग्नक-I

दिनांक 10.02.2026 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1628 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

विनिर्माण क्षेत्र

I. वांतरिक्ष और रक्षा
II. ऑटोमोटिव और ऑटो कम्पोनेंट
III. फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण
IV. बायो-टेक्नोलॉजी
V. पूंजीगत माल
VI. वस्त्र और परिधान
VII. रसायन और पेट्रो रसायन
VIII. इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिज़ाइन और विनिर्माण (इएसडीएम)
IX. चमड़ा और जूते
X. खाद्य प्रसंस्करण
XI. रत्न और आभूषण
XII. नौपरिवहन
XIII. रेल
XIV. निर्माण
XV. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा

सेवा क्षेत्र

i. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं (आइटी एंड आटीईएस)
ii. पर्यटन और आतिथ्य सेवाएं
iii. चिकित्सा मूल्य मात्रा
iv. परिवहन और लॉजिस्टिक सेवाएं
v. लेखा और वित्त सेवाएं
vi. दृश्य श्रृव्य सेवाएं
vii. कानूनी सेवाएं
viii. संचार सेवाएं
ix. निर्माण और संबंधित इंजीनियरिंग सेवाएं
x. पर्यावरण सेवाएं
xi. वित्तीय सेवाएं
xii. शिक्षा सेवाएं

*****